प्रकरण संख्या 18/2021 ओमप्रकाश बनाम किशननाथ

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केलवाड़ा, तहसील कुम्भलगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर 613 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसका मौके पर विभाजन होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन भूमि संयुक्त स्वामित्व में दर्ज होने से प्रतिवादी वादी के हिस्से पर कब्जा कर भूमि बेचना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः उक्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कुल 5 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.11.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13.08.2020 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 31.08.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री अनिल असावा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी, क्योंकि अपीलान्ट के अधिवक्ता को इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं दी गयी तथा अपीलान्ट राजस्थान रोडवेड में टोंक जिले में पदस्[illegible] है। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः [illegible] की क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:32 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अपील ने मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को इस बात की जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट को उसके पिता ने निष्पादित कर दी थी और वही इस भूमि के एक मात्र मालिक काबिज हैं। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा 4 बिस्वा भूमि ही क्रय की गयी इसलिए वह केवल 4 बिस्वा भूमि का विभाजन कराने का अधिकारी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अपीलान्ट ने वसीयत के आधार पर एक अपील उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ के यहां प्रस्तुत की, जिसे उपखण्ड अधिकारी ने स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार कुम्भलगढ़ को प्रतिप्रेषित किया, जो आज भी तहसीलदार के यहां विचाराधीन है। उक्त सभी तथ्य अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रखते किन्तु उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से वह अपना पक्ष नहीं रख सका। अपनी अपील के समर्थन में वसीयतनामा एवं नामान्तरकरण की पत्रावली मय आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की तथा निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। चुंकि इसी विवादित आराजी एवं उनवान से संबंधित प्रारम्भिक डिक्री की अपील संख्या 19/2021 आज ही न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त किया गया है एवं प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायलय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 18/2021 ओमप्रकाश बनाम किशननाथ

द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के पश्चात् की गयी जारी अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.08.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 28.04.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:32 IST
Reason: SelfAttested